न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 42/17 वाद पत्र

उनवान

1–बद्रीलाल पिता खेमराज ब्राहमण निवासी नारायण खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

वादी

बनाम

1–नारायण पिता खेमराज ब्राहमण निवासी नारायण खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2–मदनलाल पिता देवराम ब्राहमण निवासी नारायण खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3–कस्तुरी पुत्री देवराम ब्राहमण निवासी नारायण खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. फारूख मोहम्मद – **अधिवक्ता वादी**

निर्णय

दिनांक 05.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प नाहरी मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मै साबिक आराजी संख्या 14/34, 15/21, 22 कुल किता 3 कुल रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा भुमि पुर्व खातेदार श्री बाहदरसिंह, विजयसिंह पिता अमरदान बडवा सा0 देह नान्दशा के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण मे नकल जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 तक प्रस्तुत हैं। उक्त साबिक आराजियात को वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता देवराम ने दिनांक 27/09/1975 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की तत्पश्चात उन्होने उक्त साबिक आराजियात का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु सम्बन्धित राजस्व कर्मचारीयो को विक्रयपत्र. दिया उक्त विक्रयपत्र के आधार पर उन्होने नामान्तरण नही खोल कर गलत रूप से नातान्तरण खोल दिया नामान्तरण संख्या 736 का अमलदरामद साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 मे किया गया जो गलत है। राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारियो को राजस्व रेकार्ड मे गलत रूप से अंकन करने का कोई विधीक आदेश नही होते हुये भी उन्होने राजस्व जमाबन्दी मे गलत अंकन कर दिया वास्तविक रूप से अंकन बद्रीलाल, नारायण पिता खेमराज व देवराम पिता गणेशराम ब्राहमण अंकित होना चाहिये था यहि अंकन विक्रय पत्र मे किया गया है जिसे पुनः दुरूस्ती की घोषणात्मक डिक्रि जारी कराया जाना आवश्यक हो गया है इस हेतु वादी ने वादपत्र प्रस्तुत किया है। भु प्रबन्ध के दोरान साबिक आराजी संख्या 14/34, 15/21, 22 के नवीन नम्बर आराजी नम्बर 253 रकबा 1.63 हे0, आराजी संख्या 254 रकबा 0.75 हे0, आराजी संख्या 267 रकबा 3.57 हे0, कुल किता 06 कुल रकबा 5.95 हे0 कायम हुये प्रमाण मै नकल मीलान क्षैत्रफल एवं नवीन जमाबन्दी प्रस्तुत है। वादी को उक्त तथ्य की जब जानकारी हुई तो वादी ने दिनांक 20.09.2016 को राजस्व रेकार्ड एवं विक्रयपत्र कर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की तथा प्रतिवादीगण को उक्त अंकन को दुरूस्त कराने हेतु कहां लेकिन प्रतिवादीगण इंकार हो गये जिससे वादी को यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पड़ा है। बिनाय वाद दिनांक 20.09.2016 एवं दिनांक 25.04.2017 को प्रतिवादीगण के इंकार करने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह वाद पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 18.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या प्रतिवादीगण उपस्थित हुए तथा राजीनामा पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल फाईल किया गया। प्रस्तुत राजीनामे क के अनुसार वर्तमान खाता संख्या 323 मे वर्णित आराजी संख्या 253 रकबा 1.63 हे0, 254 रकबा 0.75 हे0, 267 रकबा 3.57 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 5.95 हे0 मे संशोधन बद्रीलाल, नारायण पिता खेमराज, मदनलाल पिता देवराम, कस्तुरी पुत्री देवराम ब्राहम्ण दर्ज करने मे दोनो पक्ष सहमत है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। राजीनामे क के अनुसार वर्तमान खाता संख्या 323 मे वर्णित आराजी संख्या 253 रकबा 1.63 हे0, 254 रकबा 0.75

हे0, 267 रकबा 3.57 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 5.95 हे0 मे संशोधन बद्रीलाल, नारायण पिता खेमराज, मदनलाल पिता देवराम, कस्तुरी पुत्री देवराम ब्राहम्ण दर्ज करना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

राजीनामे क के अनुसार वर्तमान खाता संख्या 323 मे वर्णित आराजी संख्या 253 रकबा 1.63 हे0, 254 रकबा 0.75 हे0, 267 रकबा 3.57 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 5.95 हे0 मे पूर्व इन्द्राज के बजाय बद्रीलाल, नारायण पिता खेमराज, मदनलाल पिता देवराम, कस्तुरी पुत्री देवराम ब्राहम्ण के रूप मे संशोधन कर दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

05/6/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 05.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा